नईदुनिया

संपादकीय

सीमावर्ती जिलों में बदलती आबादी : सुरक्षा का सवाल राजनीति से ऊपर

सीमा केवल नक्शे पर खींची गई एक रेखा नहीं होती। वह वह स्थान है, जहां देश का कानून, संस्कृति और नागरिक सबसे पहले खड़े होते हैं। यदि पहली चौकी ही कमजोर पड़ जाए तो राजधानी कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसकी नींव कमजोर ही मानी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सीमावर्ती जिलों और महानगरों में जनसांख्यिकीय बदलावों के अध्ययन के लिए उच्चस्तरीय समिति के गठन का निर्देश इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समिति का उद्देश्य अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से हो रहे जनसंख्या परिवर्तनों का आकलन कर चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाना है।

यह पहल देर से सही, लेकिन आवश्यक है। भारत की 15,106 किमी लंबी भूमि सीमा सात देशों से लगती है। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और चीन से लगे जिले लंबे समय से अवैध घुसपैठ, तस्करी और मानव तस्करी जैसी गतिविधियों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। जब सीमा क्षेत्रों की आबादी का स्वरूप तेजी से बदलता है तो यह केवल समाजशास्त्र का विषय नहीं रह जाता, बल्कि आंतरिक सुरक्षा, संसाधनों पर दबाव और सामाजिक संतुलन से भी जुड़ जाता है।

समस्या नई नहीं है, बल्कि अब तक इच्छाशक्ति की कमी रही है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के कई सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर लंबे समय से राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। पहचान पत्रों में फर्जीवाड़ा, जमीन की खरीद-फरोख्त और वोट बैंक की राजनीति ने हालात को और जटिल बनाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी यह चिंता का विषय है, क्योंकि अवैध प्रवासियों की आड़ में राष्ट्रविरोधी तत्वों, नकली नोट, हथियार और मादक पदार्थों के नेटवर्क के पनपने की आशंका बढ़ जाती है।

समिति का अध्ययन केवल घुसपैठ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आधार, मतदाता सूची, राशन कार्ड और जन्म-मृत्यु पंजीकरण के आंकड़ों का सत्यापन कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। यह भी जांचना आवश्यक है कि बदलाव का कारण अवैध प्रवासन है या रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए होने वाला आंतरिक पलायन। अध्ययन राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से होना चाहिए।

समाधान भी व्यावहारिक होने चाहिए। सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग, बायोमेट्रिक पंजीकरण और तकनीकी निगरानी को मजबूत करने के साथ सीमावर्ती गांवों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। खाली होते गांव सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। इस विषय को सांप्रदायिक या राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय राष्ट्रीय हित के नजरिए से समझने की आवश्यकता है। तथ्य आधारित रिपोर्ट और दीर्घकालिक नीति ही इस चुनौती का स्थायी समाधान दे सकती है।

आजकल

वंशवाद की डूबती नाव पर मर्जर का सहारा

पश्चिम बंगाल ने सियासी हवा बदल दी है। 'मोदीफोबिया' से ग्रसित राजनीतिक धारा के लिए वहां के नतीजे वज्रपात से कम नहीं हैं। दशकों से वोट बैंक के भरोसे चल रही राजनीति अब निष्प्रभावी दिख रही है। जमीन खिसकते देख क्षेत्रीय दल और कांग्रेस दोनों नई नाव तलाश रहे हैं। इसी बेचैनी में मर्जर की चर्चाएं गर्म हैं। कांग्रेस द्वारा ममता बनर्जी की टीएमसी और शरद पवार की पार्टी को विलय का ऑफर दिए जाने की चर्चा रही। कांग्रेस ने इसे अफवाह बताया, पर सियासत में धुआं बिना आग के नहीं उठता। प्रलय में सांप और नेवला भी एक नाव पर आ जाते हैं।

आज टीएमसी में भगदड़ है। विधायक दल टूट चुका है और विधानसभा में उसे अलग मान्यता भी मिल गई है। संसदीय दल के विभाजन पर लोकसभा अध्यक्ष का फैसला बाकी है। कानूनन मर्जर के लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए, जो ममता के पास अब बचा नहीं है। यानी मर्जर की बात व्यावहारिक कम और दबाव की राजनीति ज्यादा लगती है। कांग्रेस की नजर संगठन के साथ-साथ टीएमसी की संपत्तियों पर भी बताई जा रही है। विलय हुआ तो पूरी संपत्ति कांग्रेस के नियंत्रण में आ जाएगी। असल बीमारी वंशवाद है। ममता ने अभिषेक बनर्जी को वारिस बनाया, जबकि कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व से असंतुष्ट होकर कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं।

सपा में अखिलेश और राजद में तेजस्वी विरासत संभालने की चुनौती से जूझ रहे हैं। नेतृत्व वंश से नहीं, क्षमता से आता है। इतिहास गवाह है कि अक्षम वारिसों के कारण सल्तनतें मिट्टी में मिल गईं। क्षेत्रीय दलों की पराजय से राजनीति दो-दलीय व्यवस्था की ओर बढ़ सकती है, लेकिन कांग्रेस का दोहरा चरित्र भी सवालों के घेरे में है। सबक साफ है कि जो दल परिवार को क्षमता पर तरजीह देंगे, उनका भविष्य संकट में पड़ सकता है। राजनीति वंश की जागीर नहीं, सेवा का संकल्प है। दो अक्षमताएं मिलकर सक्षमता नहीं बनतीं; पार्टी नीति और नीयत से बचती है, केवल 'सियासी अभिषेक' से नहीं।

योजनाएं जनता के लिए, तिजोरियां अफसरों की

जब सेवक ही मालिक बन बैठें तो लोकतंत्र लुटता है

सरकार की हर योजना का मकसद एक ही होता है - जनता का कल्याण। पोषण आहार, सड़क, बिजली, पानी, पेंशन - फाइलों पर मोटे-मोटे अक्षरों में जनहित लिखा जाता है, परंतु जमीन पर जब योजना उतरती है तो जन गायब हो जाता है और सिर्फ हित बचता है - अफसर का, बाबू का और ठेकेदार का।

इंदौर के महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक लक्ष्मीनारायण कंडवाल के बैंक लॉकर से बरामद 25 लाख रुपये नकद और अब तक सामने आई 10.80 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति इस सड़ांध का ताजा सबूत है। यह कोई पहला मामला नहीं, बल्कि एक पैटर्न है, एक ऐसी बीमारी है जो लोक निर्माण, पंचायत, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे हर विभाग को खा रही है। सजा ऐसी हो कि रूह कांप जाए। भ्रष्टाचार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्तगी, संपत्ति राजसात और 10 साल की सजा होनी चाहिए। अभी तो सस्पेंशन होता है, फिर बहाली होती है और वही अधिकारी वापस कुर्सी पर बैठ जाता है। लोकतंत्र लुटेरों से नहीं, चुप्पी से मरता है। सरकार योजनाएं बनाकर अपना काम कर देती है, लोकायुक्त छापा मारकर वाहवाही लूट लेता है, परंतु जनता आज भी कंडवाल जैसे अफसरों की तिजोरी भरने के लिए टैक्स दे रही है। लोकतंत्र में मालिक जनता होती है और अफसर उसका नौकर, परंतु जब नौकर ही मालिक की तिजोरी काटने लगे तो समझिए संविधान खतरे में है।

कंडवाल के लॉकर से निकले 25 लाख रुपये सिर्फ नोट नहीं हैं, वे उन बच्चों के गाल पर पड़े 25 लाख थप्पड़ हैं जिन्हें पोषण आहार नहीं मिला। वे उस विधवा की अर्थी में ठोकी गई 25 लाख कीलें हैं जिसकी पेंशन किसी ने खा ली। अब वक्त आ गया है कि हम छापों पर ताली बजाना बंद करें और सिस्टम से सवाल पूछें। क्योंकि जब तक ऊपर बैठा अफसर ईमानदार नहीं होगा, तब तक नीचे वाला बेईमान रहेगा और जब तक जनता चुप रहेगी, तब तक कंडवाल पैदा होते रहेंगे। योजनाएं कागज पर नहीं, जमीन पर उतरनी चाहिए और अफसरों की तिजोरी नहीं, जनता की थाली भरनी चाहिए, वरना लोकतंत्र का लोक भूखा मरेगा और तंत्र मोटा होता जाएगा।

300 गुना वेतन से अधिक संपत्ति, फिर भी भूख खत्म नहीं : लोकायुक्त की छापेमारी में खुलासा हुआ कि कंडवाल के पास वेतन से लगभग 300 गुना अधिक संपत्ति मिली। स्कीम-103 में चार मंजिला मकान, चार बैंक खाते, धार जिले में जमीनें और बेकल्या क्षेत्र में भारी निवेश मिला। 30 साल की नौकरी में अफसर ने इतना जोड़ लिया कि सात पुश्तें बैठकर खाएं। सवाल है कि यह पैसा आया कहां से?

जवाब सब जानते हैं - पोषण आहार के पैकेट से आटा चोरी करके, आंगनवाड़ी भवनों में सीमेंट की जगह रेत भरकर और विधवा पेंशन के फॉर्म पर अंगूठा लगवाकर। महिला एवं बाल विकास विभाग, जहां कुपोषित बच्चों के लिए चना-दाल भेजी जाती है, वहीं अफसर अपनी तिजोरी में नोटों की दाल भर रहा था।

बीमारी हर विभाग में, सिर्फ नाम बदलते हैं : कंडवाल अकेला नहीं है। कल लोक निर्माण विभाग का इंजीनियर करोड़ों की संपत्ति के साथ पकड़ा गया था, परसों पंचायत सचिव के घर से नोटों के बंडल निकले। ऊर्जा विभाग में ट्रांसफार्मर के नाम पर, स्वास्थ्य विभाग में दवा खरीद के नाम पर और शिक्षा विभाग में यूनिफॉर्म के नाम पर हर जगह कमीशन का मीटर चल रहा है।

योजनाएं दिल्ली और भोपाल में बनती हैं, करोड़ों का बजट पास होता है, परंतु गांव पहुंचते-पहुंचते वह सूखा राशन बन जाता है, क्योंकि रास्ते में हर टेबल पर दस्तूरी रखनी पड़ती है। फाइल तब तक नहीं चलती जब तक उसके पहियों में तेल न डाला जाए। जनता के लिए बनी योजना अफसरों के लिए एटीएम बन गई है। लोकायुक्त पकड़ता है, परंतु तब तक बीमारी कैंसर बन चुकी होती है।

पोस्टमार्टम नहीं, इलाज चाहिए : ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की टीमें छापे मारती हैं, लॉकर खोलती हैं, संपत्ति कुर्क करती हैं। तालियां बजती हैं, अखबारों में सुर्खियां बनती हैं, लेकिन यह इलाज नहीं, पोस्टमार्टम है। मरीज मर चुका होता है, तब डॉक्टर आता है।

जब कंडवाल 30 साल से संपत्ति बना रहा था, तब उसके वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे थे? विजिलेंस क्या कर रही थी? विभागीय ऑडिट कहां सो रहा था? हर साल एसीआर लिखने वाला आईएएस अधिकारी क्यों नहीं देख पाया कि उसका जूनियर वेतन से 300 गुना अधिक संपत्ति कैसे बना रहा है?

क्योंकि ऊपर से नीचे तक हिस्सेदारी का सिस्टम चलता है। छोटा अफसर खाता है और बड़े को हिस्सा देता है। इसलिए कोई किसी को रोकता नहीं। सब भ्रष्टाचार की सहकारी समिति के सदस्य बने बैठे हैं।

संपत्ति का नहीं, सिस्टम की नंगई का खुलासा : 10.80 करोड़ रुपये की संपत्ति सिर्फ कंडवाल की हैसियत नहीं बताती, बल्कि सरकारी योजनाओं की असलियत भी बताती है। अगर पोषण आहार का 50 प्रतिशत भी बच्चों तक पहुंच जाता तो मध्यप्रदेश कुपोषण में शीर्ष राज्यों में नहीं होता। अगर मनरेगा का 70 प्रतिशत पैसा मजदूर तक पहुंचता तो पलायन कम होता।

यह पैसा हवा में नहीं बना। यह विधवा की पेंशन से निकला है, आदिवासी की थाली से छीना गया है, स्कूल की छत से टपकता है और अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी बनकर सामने आता है। भ्रष्टाचार कोई आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक हत्या है।

रियल टाइम मॉनिटरिंग ही समाधान : हर योजना का पैसा पीएफएमएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में जाए और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो। आंगनवाड़ी में कितना राशन पहुंचा, इसकी मोबाइल ऐप पर फोटो अपलोड हो। स्कूल में यूनिफॉर्म बंटी तो बच्चों की फोटो पोर्टल पर दर्ज हो। हर अफसर और जनप्रतिनिधि की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक हो और लोकायुक्त हर साल उसका आयकर रिटर्न तथा बैंक स्टेटमेंट से मिलान करे। 20 प्रतिशत से अधिक असामान्य वृद्धि मिलने पर तत्काल जांच शुरू हो। बड़े अफसरों की जवाबदेही भी तय हो। यदि जूनियर अधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो उसके वरिष्ठ अधिकारी पर भी पर्यवेक्षण में लापरवाही का मामला दर्ज हो। जब तक ऊपर वाले की गर्दन नहीं फंसेगी, तब तक नीचे वाला नहीं डरेगा। सजा ऐसी हो कि रूह कांप जाए। भ्रष्टाचार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्तगी, संपत्ति राजसात और कम से कम 10 साल की सजा हो। अभी सस्पेंशन होता है, फिर बहाली होती है और वही अधिकारी वापस कुर्सी पर बैठ जाता है।

लोकतंत्र लुटेरों से नहीं, चुप्पी से मरता है। सरकार योजनाएं बनाकर अपना काम पूरा मान लेती है, लोकायुक्त छापे मारकर वाहवाही लूट लेता है, परंतु जनता आज भी कंडवाल जैसे अफसरों की तिजोरी भरने के लिए टैक्स दे रही है।

लोकतंत्र में मालिक जनता होती है और अफसर उसका नौकर। जब नौकर ही मालिक की तिजोरी काटने लगे तो समझिए संविधान खतरे में है। अब समय आ गया है कि योजनाएं कागज पर नहीं, जमीन पर उतरें और अफसरों की तिजोरी नहीं, जनता की थाली भरें। वरना लोकतंत्र का लोक भूखा मरेगा और तंत्र लगातार मोटा होता जाएगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

अब एआई करेगा खरीदारी: सुविधा और भरोसे की नई परीक्षा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल सवालों के जवाब देने या लेख लिखने तक सीमित नहीं रह गया है। तकनीक तेजी से उस दौर की ओर बढ़ रही है, जहां एआई इंसानों की ओर से निर्णय भी लेगा और उन्हें अमल में भी लाएगा। वैश्विक भुगतान कंपनी वीजा और चैटजीपीटी के बीच हुआ नया सहयोग इसी बदलाव का संकेत है। अब एआई एजेंट केवल किसी उत्पाद की जानकारी या सुझाव नहीं देंगे, बल्कि उपयोगकर्ता की अनुमति के आधार पर उसकी ओर से खरीदारी भी पूरी कर सकेंगे।

यह बदलाव ई-कॉमर्स की दुनिया में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब तक ऑनलाइन खरीदारी में अंतिम निर्णय और भुगतान की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होती थी। एआई केवल विकल्प खोजने तक सीमित रहता था। नई व्यवस्था में यदि कोई व्यक्ति 5000 रुपए से कम कीमत वाले वायरलेस हेडफोन चाहता है, तो चैटजीपीटी उसकी शर्तों के अनुसार उत्पाद खोजकर स्वयं खरीदारी की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। यह सुविधा समय बचाने और खरीदारी को अधिक आसान बनाने का दावा करती है।

हालांकि यह पहली बार नहीं है जब चैटजीपीटी ने ई-कॉमर्स में प्रवेश करने की कोशिश की हो। पिछले वर्ष शुरू की गई इंस्टेंट चेकआउट सुविधा उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल पर्सनल शॉपर बनने का प्रयास थी, लेकिन तकनीकी त्रुटियों और व्यापारियों पर लगाए गए 4 प्रतिशत शुल्क के कारण उसे व्यापक स्वीकृति नहीं मिली। आखिरकार मार्च में उस सेवा को बंद करना पड़ा। इस बार अंतर यह है कि

यह बदलाव ई-कॉमर्स की दुनिया में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब तक ऑनलाइन खरीदारी में अंतिम निर्णय और भुगतान की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होती थी। एआई केवल विकल्प खोजने तक सीमित रहता था। नई व्यवस्था में यदि कोई व्यक्ति 5000 रुपए से कम कीमत वाले वायरलेस हेडफोन चाहता है, तो चैटजीपीटी उसकी शर्तों के अनुसार उत्पाद खोजकर स्वयं खरीदारी की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। यह सुविधा समय बचाने और खरीदारी को अधिक आसान बनाने का दावा करती है।

भुगतान प्रक्रिया दुनिया के सबसे बड़े भुगतान नेटवर्क में से एक वीजा के माध्यम से संचालित होगी, जिससे अधिक व्यापारियों और ग्राहकों तक इसकी पहुंच संभव होगी।

लेकिन तकनीक जितनी सुविधाजनक होती है, उतने ही गंभीर प्रश्न भी खड़े करती है। क्या कोई एआई एजेंट उपभोक्ता की वास्तविक मंशा को हर बार सही समझ पाएगा? यदि गलत वस्तु खरीद ली जाए, जरूरत से अधिक खर्च हो जाए या किसी लेनदेन पर विवाद पैदा हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? बैंक और वित्तीय संस्थान लंबे समय से ऐसी आशंकाएं व्यक्त करते रहे हैं कि एआई आधारित लेनदेन धोखाधड़ी के नए रास्ते खोल सकते हैं। इसी कारण वीजा ने इस व्यवस्था में कई सुरक्षा उपाय शामिल करने की बात कही है। खर्च की सीमा तय करने, हर खरीदारी से पहले स्वीकृति लेने और केवल अधिकृत व्यापारियों के साथ लेनदेन करने जैसे प्रावधान उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। शुरुआती चरण में अधिकांश खरीदारी में अंतिम मंजूरी इंसान की ही रहेगी और एआई केवल प्रक्रिया को सरल बनाएगा। समय के साथ यदि उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है तो स्वचालित खरीदारी का दायरा भी बढ़ सकता है।

विश्वास ही इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी होगा। लोग ऑनलाइन भुगतान करने में सहज होने में भी वर्षों लगे थे। आज डिजिटल भुगतान सामान्य बात है, लेकिन उसकी नींव मजबूत सुरक्षा प्रणाली और भरोसेमंद नेटवर्क ने तैयार की। एआई एजेंटों के साथ भी यही चुनौती सामने है। उपभोक्ता तभी उन्हें स्वतंत्र रूप से खरीदारी की अनुमति देंगे जब उन्हें विश्वास होगा कि उनका पैसा सुरक्षित है और उनकी पसंद का सही सम्मान होगा।

दिलचस्प बात यह है कि प्रतिस्पर्धा भी इस दिशा में तेज हो रही है। मास्टरकार्ड भी एआई आधारित भुगतान सेवाओं पर काम कर रहा है, जहां एआई एजेंट व्यवसायों की ओर से विज्ञापन या अन्य सेवाएं खरीद सकेंगे। इसका अर्थ है कि भविष्य में एआई केवल व्यक्तिगत सहायक नहीं रहेगा, बल्कि कारोबारी निर्णयों का भी सक्रिय हिस्सा बन जाएगा। फिर भी यह याद रखना आवश्यक है कि तकनीक का उद्देश्य इंसान की जगह लेना नहीं, बल्कि उसकी क्षमता को बढ़ाना होना चाहिए। एआई खरीदारी को आसान बना सकता है, लेकिन विवेक, प्राथमिकताओं और अंतिम जिम्मेदारी का स्थान अभी भी मनुष्य के पास ही रहेगा। सुविधा और स्वचालन के इस नए दौर में सफलता उसी मॉडल की होगी जो तकनीकी नवाचार के साथ पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही का संतुलन बनाए रख सके। आने वाले वर्षों में यह केवल डिजिटल कॉमर्स का नहीं, बल्कि उपभोक्ता विश्वास का भी सबसे बड़ा परीक्षण होगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

84 महादेव दर्शन यात्रा

84/35 श्री इंद्रेश्वर महादेव

'ज्ञान, बुद्धि, न्याय और धर्मसम्मत सत्ता का दिव्य संदेश'

डॉ. नवीन आनंद जोशी

उज्जयिनी के पावन महाकाल वन में स्थित श्री इंद्रेश्वर महादेव का स्वरूप केवल एक शिवलिंग नहीं, बल्कि धर्म, न्याय, ज्ञान और ईश्वरीय कृपा के गहन रहस्य का प्रतीक है। यहां विराजमान भगवान शिव की महिमा एक ऐसी कथा से जुड़ी है, जो बताती है कि जब मनुष्य ज्ञान, बुद्धि और धर्म का आश्रय लेता है, तब खोया हुआ सम्मान, अधिकार और पद भी पुन: प्राप्त हो सकता है।

पुराणों के अनुसार प्रजापति त्वष्टा के पुत्र कुषध्वज अत्यंत धर्मनिष्ठ, दानी और सदाचारी थे। वे लोककल्याण के कार्यों में निरंतर लगे रहते थे। एक समय ऐसा आया जब देवराज इंद्र द्वारा उनका वध कर दिया गया। अपने पुत्र के वियोग से दु:खी और क्रोधित होकर प्रजापति त्वष्टा ने अपनी जटा से एक बाल निकालकर अग्नि में समर्पित किया। उनके तप और संकल्प की शक्ति से अग्नि से एक महाबली दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसे वृत्रासुर कहा गया।

प्रजापति की आज्ञा से वृत्रासुर ने देवताओं के साथ युद्ध किया। उसके अद्भुत पराक्रम के सामने देवसेना टिक न सकी। देवराज इंद्र पराजित होकर बंधक बना लिए गए और वृत्रासुर ने स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया। यह प्रसंग हमें स्मरण कराता है कि संसार में कोई भी पद, शक्ति या सत्ता स्थायी नहीं है। जब

कर्मों का संतुलन डगमगाता है, तब परिस्थितियां भी बदल जाती हैं।

कुछ समय पश्चात आदरणीय देवगुरु बृहस्पति वहां पहुंचे। उन्होंने अपने ज्ञान, धैर्य और दिव्य बुद्धि से देवराज इंद्र को बंधनों से मुक्त कराया। मुक्त होने के बाद इंद्र ने विनम्रतापूर्वक पूछा कि वे पुन: स्वर्ग की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तब देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें महाकाल वन में स्थित भगवान शिव की आराधना का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि खंडेश्वर महादेव के दक्षिण में विराजित दिव्य शिवलिंग का श्रद्धा और समर्पण के साथ पूजन करें। देवराज इंद्र ने भगवान शिव की आराधना आरंभ की। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान महादेव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे शिवकृपा के प्रभाव से वृत्रासुर का सामना करें तथा विजय प्राप्त करें। महादेव के आशीर्वाद से इंद्र ने पुन: युद्ध किया, वृत्रासुर का वध किया और स्वर्ग पर अपना अधिकार पुन: स्थापित किया। देवराज इंद्र द्वारा पूजित होने के कारण यह शिवलिंग 'श्री इंद्रेश्वर महादेव' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

यह कथा केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि गहन आध्यात्मिक दर्शन भी प्रस्तुत करती है। इंद्रेश्वर महादेव का क्रमांक 35 विशेष रूप से चिंतन का विषय है। अंक 3 को ज्ञान का और अंक 5 को बुद्धि, विवेक तथा कर्मकुशलता का प्रतीक माना जा सकता है। जब ज्ञान और बुद्धि का समन्वय होता है, तब उनका योग 8 बनता है।

अंक 8 न्याय, संतुलन, उत्तरदायित्व और धर्मसम्मत सत्ता का प्रतीक माना जाता है। इस कथा में भी यही सत्य दिखाई देता है। जब संतुलन भंग हुआ तो स्वर्ग का अधिकार छिन गया, और जब ज्ञान, विवेक तथा भगवान शिव की कृपा का संगम हुआ, तब न्याय की पुन: स्थापना हुई। इस प्रकार अंक 8 हमें यह स्मरण कराता है कि वास्तविक सत्ता वही है जो धर्म और न्याय पर आधारित हो। इस कथा में आदरणीय देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के स्वरूप हैं। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति बुद्धि, विवेक और विघ्नों के नाश के अधिष्ठाता हैं। जब बृहस्पति का ज्ञान और गणपति की बुद्धि, भगवान महाकाल के आशीर्वाद से संयुक्त होती है, तब जीवन में वह सामर्थ्य उत्पन्न होता है जो मनुष्य को उसके योग्य स्थान तक पहुंचाती है। ऐसा स्थान केवल भौतिक पद नहीं होता, बल्कि सम्मान, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और लोककल्याण की जिम्मेदारी का भी प्रतीक होता है।

आज के युग में भी श्री इंद्रेश्वर महादेव की यह कथा उतनी ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि गुरु का मार्गदर्शन, बुद्धि का प्रकाश और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, तो पराजय को विजय में बदला जा सकता है। अहंकार से नहीं, बल्कि विनम्रता, श्रद्धा और धर्म से स्थायी सफलता प्राप्त होती है।

श्री इंद्रेश्वर महादेव का संदेश स्पष्ट है-ज्ञान दिशा देता है, बुद्धि निर्णय देती है, न्याय अधिकार प्रदान करता है और भगवान महाकाल की कृपा उस अधिकार को स्थिर करती है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक श्री इंद्रेश्वर महादेव का पूजन करता है, वह केवल पापों से ही मुक्त नहीं होता, बल्कि उसके जीवन में न्याय, संतुलन, सम्मान और धर्मसम्मत उन्नति के द्वार भी खुलते हैं। यही इंद्रेश्वर महादेव की दिव्य महिमा और उनकी कथा का शाश्वत संदेश है।

श्रृंखला निरंतर जारी...